-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 12.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **थाना बदौसा पुलिस द्वारा अपनी पुत्री की चाकू मार हत्या करने वाले पिता को किया गया गिरफ्तार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बदौसा पुलिस द्वारा अपनी पुत्री की चाकू मारकर हत्या करने वाले पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि दिनाकं 18 मई को थाना बदौसा में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला जिसकी उम्र करीब 19 वर्ष है उसको पूर्व परिचित व पड़ोस का लड़का भगा ले गया है। सूचना पर थाना बदौसा में समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें आज दिनांक 12.06.2026 को महिला को सकुशल बरामद कर लिया गया था। नियमानुसार महिला के परिजनों को सूचना दी गई और उसके माता पिता द्वारा बातचीत एवं काउंसलिंग के दौरान महिला के पिता द्वारा एक धारदार हथियार से महिला के पेट पर वार किया गया जिसे उपचार हेतु सीएचसी अतर्रा लाया गया जहां से मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया जहां पर डाक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रकरण में मृतका के माँ की तहरीर के आधार पर मृतका के पिता के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्त पिता को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया तथा घटना में प्रयुक्त हथियार को भी बरामद किया गया है।

बरामदगी-

- 01 चाकू (घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सत्य कुमार चौहान निवासी बरछा ब थाना बदौसा जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 103/26 धारा 101 बीएनएस थाना बदौसा जनपद बांदा।